शहर में नकली चायपत्ती बेचने की कंपनी को मिली थी शिकायत, पुलिस ने पकड़े दो युवक

Author: Jagran Publish Date: Wed, 02 Mar 2022 12:04 AM (IST)Updated Date: Wed, 02 Mar 2022 12:04 AM (IST)

जासं, अमृतसर : थाना बी डिवीजन की पुलिस ने शहर में नकली चाय पत्ती बेचने के आरोप में दो लोगों को सोमवार की रात गिरफ्तार किया है। आरोपितों के कब्जे से 24 पैकेट ग्रीन टी बरामद कर कापी राइट एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। सचिन कुमार ने पुलिस को बताया कि वह गुडरिक नाम की कंपनी में काम करते हैं और उक्त कंपनी की देश के कई हिस्सों में चाय पत्ती बिकती है। कंपनी को पता चला था कि शेरां वाला गेट निवासी गगन गुप्ता और फतेहगढ़ चूड़ियां रोड स्थित वृंदावन गार्डन निवासी रुपेश गोयंका शहर में नकली चायपत्ती बेच रहे हैं। इसके बाद उन्होंने पुलिस को शिकायत की और उनके साथ छापामारी कर नकली चायपत्ती के 24 पैकेट बरामद किए। नकली लाटरी बेचने वाले तीन गिरफ्तार इसी तरह बी डिवीजन थाने की पुलिस ने ही शहर में नकली लाटरी का धंधा करने के आरोप में तीन लोगों को सोमवार की रात गिरफ्तार किया है। आरोपितों के कब्जे से दो एक्टिवा, एक एलईडी, साढ़े पांच हजार रुपये बरामद कर केस दर्ज किया है। इंस्पेक्टर लवदीप शर्मा ने पकड़े गए आरोपितों की पहचान खंडवाला स्थित धक्का कालोनी निवासी जोगिदर सिंह, सुरेश महाजन और ग्वालमंडी निवासी तरसेम के रूप में बताई है।

Source: https://www.jagran.com/punjab/amritsar-two-arrested-for-selling-fake-company-tea-in-amritsar-22510256.html